

## पति के अकस्मात निधन पर पत्नी यदि दूसरी शादी नहीं करती तो

1. पति के अकस्मात निधन पर । पति के पी कार्ड मे जमा । जेवर य नग के फोटो । और जेवर य नग के । कोड नं के साथ अंकित । 5 तोला सोना । 10 तोला चांदी । 1 लाख के नग पत्नी को मिलेगें ।
2. लेकिन स्त्री के पी कार्ड मे । जेवर य नग के फोटो । और जेवर य नग के । कोड नं के साथ अंकित । 10 तोला सोना । 500 ग्राम चांदी । और 2 लाख के नग । से ज्यादा अंकित नहीं होगा ।
3. बच्चों को । जीसियो नियम अधिकृत । जेवर नग । बनवा सकती है । इससे अधिक होने पर । उस पर । भारत सरकार का अधिकार होगा ।
4. पति के अकस्मात निधन पर । पति के पी कार्ड मे अंकित । सरकारी मदद भूमी । 1 किचेन । 1 बेड रूम । 1 हाल । 1 बाथरूम का । 400 स्क्वायर फिट का 1 घर । पत्नी को मिलेगा ।
5. जो पत्नी के पी कार्ड मे । अंकित होगा । जिससे पत्नी अपने । और अपने बच्चों के साथ रह सकती है । भरण पोषण कर सकती है।
6. पति के अकस्मात निधन पर । यदि पति पी कार्ड अंकित । पति सरकारी 1 नौकरी करता था ।तो वह नौकरी पत्नी को मिलेगी ।
7. यदि पत्नी नौकरी नहीं लेना चाहती । तो उसे 5 बीघा खेती । य 1 दुकान मिलेगी । य 1 प्राईवेट नौकरी मिलेगी ।
8. पति के अकस्मात निधन पर । यदि पति बी कार्ड अंकित । 1 दुकान मालिक था । तो उस दुकान की मालकिन बी कार्ड व्दारा । पत्नी होगी ।
9. पति के अकस्मात निधन पर । यदि पति बी कार्ड अंकित । प्राईवेट नौकरी करता था ।
10. तो वह नौकरी पत्नी को मिलेगी ।
1. यदि पत्नी नौकरी नहीं लेना चाहती । तो उसे 5 बीघा खेती । य 1 दुकान मिलेगी । य 1 सरकारी नौकरी मिलेगी ।
2. पति के अकस्मात निधन पर । यदि पति बी कार्ड अंकित । 20 बीघा खेती जमीन का । उपयोग करता था ।
3. तो पत्नी को 5 बीघा खेती जमीन मिलेगी ।
4. यदि पत्नी पहले से । 5 बीघा खेती जमीन का उपयोग कर रही है । तो वह 5 बीघा खेती जमीन । भारत सरकार को वापस करना होगा ।
5. पति के अकस्मात निधन पर । पति यदि अन्य कोई । कार्ड धारक था । और अन्य किसी कार्ड से संस्थान का । संचालक य संस्थापक था ।

6. तो पत्नी उस संस्था की संस्थापक होगी ।
7. पत्नी यदि संस्था का । संचालक पद नहीं लेना चाहती है । तो भारत सरकार से । आग्रह के द्वारा । पत्नी वह पद छोड सकती है ।
8. तब पत्नी को । सरकारी मदद मिलेगी ।
9. और पति के अकस्मात निधन पर । पति के सभी कार्ड । बंद हो जायेंगे ।
10. बच्चों के 21 वर्ष पूर्ण होने के बाद । बच्चों को सरकारी मदद मिलेगी ।

### पति के अकस्मात निधन पर पत्नी यदि दूसरी शादी करती है तो

1. पत्नी के दूसरी शादी करने पर । पत्नी को नए पति के धर मे । जीना होगा ।
2. और मृतक पति के सभी कार्डों मे जमा । धन सम्पत्ती पर । भारत सरकार का अधिकार होगा ।
3. और बच्चों का पालन पोषण । सरकारी बाल संरक्षण ग्रह मे होगा ।
4. यदि माँ । बच्चों को अपने पास रखना चाहती है । तो रख सकती है ।
5. लेकिन भारत सरकार । बच्चों का कोई खर्चा नहीं देगी ।

### पति के अकस्मात निधन के बाद पत्नी । पति के कार्डों की सम्पत्ती लेने के बाद । यदि दूसरी शादी करती है तो

1. नए पति पत्नी दोनों को । जीसियो नियम के अनुसार । सरकारी मदद भूमि । लिमटेड जेवर नग । लिमटेड नौकरी । य दुकान । य खेती जमीन । ही मिलेगी ।
2. अधिक सम्पत्ती पर । भारत सरकार का अधिकार होगा ।

जय विश्व अग्रणी भारत की